संख्या- 2/1255/84-1-14-21बामा/2009टी.सी.-4

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 20 जनवरी, 2015

विषय- कार्यमानक प्रयोगशाला/द्वितीय मानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-981/निविमावि-लेखा-7(25)भासयो-5/2014 दिनॉक 04.12.2014, एवं पत्र संख्या-986/निविमावि-लेखा 7(25)भासयो-5/2014 दिनॉक 10.12.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई कार्यमानक प्रयोगशाला भदोई तथा अलीगंज जिला एटा के भवनों के निर्माण हेतु क्रमश-23,42,000/- एवं 21,10,000/- तथा कार्यमानक प्रयोगशाला सहारनपुर,कार्यमानक प्रयोगशाला/द्वितीय मानक/कैलीब्रेशन टावर्स झॉसी के भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि के व्यवस्था हेतु नगर आयुक्त सहारनपुर/झॉसी के प्रस्ताव के अनुरूप क्रमश रू0 4,76,000/-एवं रू0 40,80,000/-की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू0 10,48,06,000/ के सापेक्ष कुल रू0 90,08,000/- (रूपये नब्बे लाख् आठ हजार मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करतें हैं -

1- कार्यमानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु संलग्न आगणनो में दर्शायी गई दर/मात्रा को भवन निर्माण में सुनिश्चित कराने का दायित्व कार्यदायी संस्था एवं नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग का होगा।

2- प्रश्नगत कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप दिनांक 31-3-2015 तक पूर्ण कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- नियंत्रक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु प्रदेश सरकार/भारत सरकार की किसी अन्य योजना में धनराशि प्राप्त न की गई हो और न ही किसी अन्य योजना में स्वीकृति हेतु सम्मिलित करते हुए शासन को संदर्भित किया गया हों।

4- नियंत्रक का यह दायित्व होगा कि जनपदों में उपलब्ध भूमि विभाग के कब्जे में हो तथा निर्विवाद हो।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01- केन्दीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0102-द्वितीयमानक प्रयोगशाला/कार्यमानक प्रयोगशाला/कैलिब्रेशन टावर्स का भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-14-231/2014, दिनांक 22-7-2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2/1255(1)/84-1-14-तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम सम्प्रति यू0पी0 स्टेट कांस्टक्शन एण्ड इन्फरास्टक्चर डेवलेपमन्ट कारर्पोरेशन लि0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।